(20)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3257–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–3–2016 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला खरगोन प्रकरण कमांक 02/अ–74/2015–16.

श्रीराम मंदिर तर्फे जम्बु ब्राम्हण समाज बड़वाह
अध्यक्ष चन्द्रशेखर आत्मज रामेश्वर कायरे .....आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला खरगोन .....अनावेदक

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदक
श्रीमती नीना पाण्डे, अभिभाषक अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 21/7/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर, जिला खरगोन द्वारा पारित आदेश 31–3–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि जम्बू ब्राम्हण समाज क सदस्य अभय द्वारा माननीय यशोधरा राजे सिंधिया, मंत्री वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार, खेल एवं युवा कल्याण, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, मध्यप्रदेश को इस आशय की शिकायत प्रस्तुत की गई कि कस्बा बड़वाह स्थित भूमि सर्वे कमांक 157, 158, 161, 241 श्रीराम मंदिर की भूमि है, जिसे आवेदक द्वारा अवैध रूप से विकय किया जा रहा है, जबकि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर श्रीराम मंदिर के स्थान पर अपना नाम दर्ज कराये जाने संबंधी आवेदन पत्र पूर्व में निरस्त हुआ है, अतः आवश्यक कार्यवाही की जाये । उक्त आवेदन पत्र कलेक्टर, जिला खरगोन को प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 02/अ–74/2015–16 दर्ज कर शिकायत की जांच कराया जाकर दिनांक 31–3–2016 को आदेश पारित करते हुए उक्त

भूमि मंदिर के नाम ही दर्ज रहने के आदेश दिये गये । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन मंदिर जम्बू ब्राम्हण समाज का होकर व्यवस्थापक कलेक्टर के नाम दर्ज थी । उक्त प्रविष्टि को राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 1689–दो/09 में पारित आदेश दिनांक 29–12–2010 से विलोपित किया जा चुका है, और उक्त आदेश माननीय उच्च न्यायालय से स्थिर रखा गया है, परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा दुर्भावना से शिकायत की गई है । यह भी कहा गया कि अभय कायरे के पिता प्रोपटी ब्रोकर है, और वे प्रश्नाधीन भूमि से लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से कार्यवाही कर रहे हैं । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज कर आदेश पारित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रकरण से सम्बंधित सभी बिन्दु राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 29–12–2010 को आदेश पारित कर एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 4–11–2015 को आदेश पारित कर निर्णीत किये जा चुके हैं । वर्तमान प्रकरण कलेक्टर को प्रश्नाधीन भूमि बेचने की शिकायत की जॉच के सम्बंध में है, जिसमें कोई नये निष्कर्ष नहीं निकाले गये हैं । यहां यह भी विचारणीय प्रश्न है कि शिकायत के माध्यम से नाम परिवर्तन न्यायिक प्रकिया में नहीं आता है । अतः यह निगरानी निरर्थक होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, जिला खरगोन द्वारा पारित आदेश 31–3–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर